भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

048201

TRY. LKO. C.S.

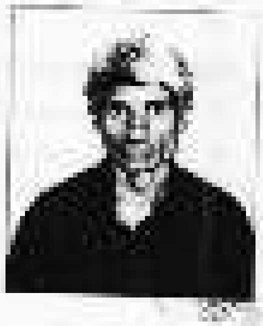

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रु0 13,86,436/-
बाजारू मूल्य : रु0 6,72,300/-
स्टाम्प शुल्क : रु0 1,38,900/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख राम किशोर उर्फ राम किशोर रावत पुत्र राम अधीन, निवासी–ग्राम–यूसुफ नगर, बनियाखेड़ा, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा

राम किशोर

12-6-08

[illegible]

[illegible] 1300436

[illegible]

[illegible] श्री [illegible]

[illegible] पुत्र [illegible]

पेशा [illegible] निवासी [illegible]

ने यह लेखपत्र कार्यालय उपनिबन्धक [illegible]

के साथ रजिस्ट्री हेतु [illegible] समय [illegible]

बजे [illegible] अंगूठा निशान

सहित प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक [illegible]

लखनऊ

निष्पादन [illegible] सुनने व समझने मजमून

से प्राप्त धन [illegible]

पक्षकार [illegible]

स्वीकार किया।

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 018302

-2-

गया है, एवम् राम सजन पुत्र ननका कोरी, निवासी–मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ०प्र० जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता सत्यापित कम्प्यूटरीकृत खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 96 के खसरा

अनुबंधी पक्षकार श्री

पुत्र श्री

निवासी

व श्री

पुत्र श्री

निवासी

उप निबंधक

(हस्ताक्षर)

... निशानात लिए गये हैं

उप निबंधक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048303

संख्या–24 रकबा 0.079 हैक्टेअर व खसरा संख्या–85 रकबा 0.251 हैक्टेअर, सम्बाधित पटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 127 के खसरा संख्या–86 रकबा 0.281 हैक्टेअर, कुल तीन किता व कुल रकबा 0.611 हैक्टेअर, स्थित ग्राम–युसुफ नगर, बगियामऊ, परगना–बिजनौर,

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 046304

तहसील व जिला–लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है, उक्त खसरा संख्या–24 व 83 की भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है और खसरा संख्या–86 की भूमि विक्रेता को पंजीकृत वसीयत दिनांक 07.10.1998 के द्वारा प्राप्त हुई है। उपरोक्त विक्रीत षष्टवार्षिक खतौनी क्रम संख्या–96 व 127 के आधार पर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048305

TRY. LKO.

TRY. LKO.

विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो चुका है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048306

भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.   Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये   FIVE THOUSAND RUPEES

TRY. LKO.

74303

-2-

अन्तर्गत विवाद या वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्की इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त रकमाति के फलस्वरूप रू0 13,88,436/- (रुपया तेरह लाख अट्ठासी हजार

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

R^{s} 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

74303

सात सौ छत्तीस मात्र) के प्रतिफल में, जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहीं स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. R^s 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

74307

के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को बखाई बैय दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया

1000 Rs.

₹1000 रु.   Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 615558

विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 619559

हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. R$ 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम युसुफ नगर, बगियामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 11,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.611 हेक्टेयर की मालियत रु0 6,72,100/– होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 1,38,900/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 500 मीटर से अधिक की दूरी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A-988705

पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO. & [illegible]8707

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 96 के खसरा संख्या–24 रकबा 0.079 हेक्टेअर व खसरा संख्या–83 रकबा 0.251 हेक्टेअर, सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 127 के खसरा संख्या–86 रकबा 0.281 हेक्टेअर, कुल तीन किता व कुल रकबा 0.611 हेक्टेअर, स्थित ग्राम–यूसुफ नगर, बनियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊजिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा न0 24

पूरब : खसरा संख्या–18 व 19

पश्चिम : खसरा संख्या–23

उत्तर : खसरा संख्या–22

दक्षिण : खसरा संख्या–25

खसरा न0 83

पूरब : खसरा संख्या–84

पश्चिम : खसरा संख्या–14 व 15

उत्तर : खसरा संख्या–85

दक्षिण : खसरा संख्या–82

खसरा न0 86

पूरब : खसरा संख्या–87

पश्चिम : खसरा संख्या–11, 12 व 13

उत्तर : खसरा संख्या–88

दक्षिण : चक रोड

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रु0 13,88,436/– (रुपया तेरह लाख अट्ठासी हजार सात सौ छत्तीस मात्र) में से विक्रेता को रु0 5,00,000/– (रुपया पाँच लाख मात्र) के दो चेक क्रमशः चैक सं0 457570, 457569 व रु0 3,88,736/– (रुपया तीन

लाख अट्ठारही हजार (छः सौ छत्तीस मात्र) द्वारा चैक संख्या- 457568 सभी चैक दिनांकित 17.06.2006, जारीकर्ता बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोट:- समस्त चैकों की संख्या काले पेन से लिखी गयी है।

लखनऊ

दिनांक: 17.06.2006

गवाह

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(अभय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जर हुसैन)

एडवोकेट

21

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

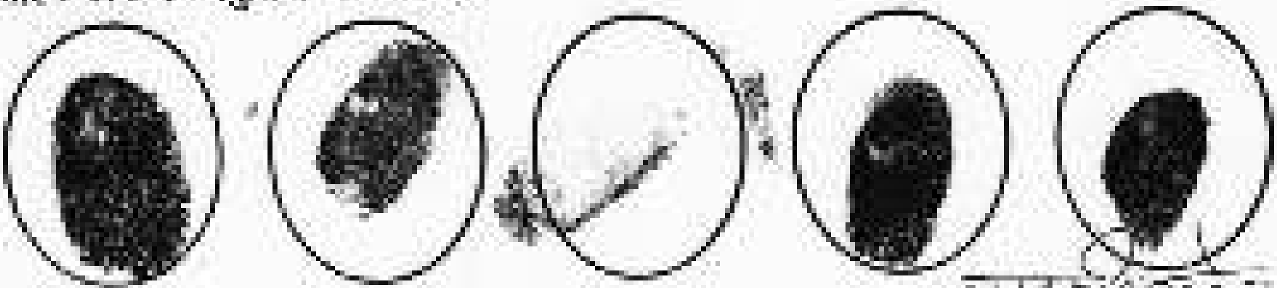

राजकिशोर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

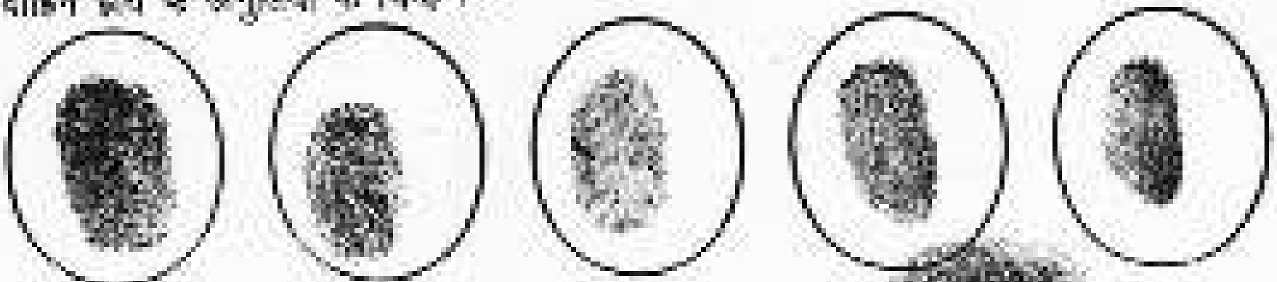

नक्शा - नजरी

ग्राम :- [illegible]

खसरा नं. :- ४६

विक्रेता :- [illegible]

क्रेता :- [illegible]

[illegible]

आज दिनांक .... को
पुस्तक संख्या .... खण्ड 5930
पृष्ठ .... पर क्रम संख्या ....
रजिस्ट्री कृत किया गया।

उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ

उप निबन्धक प्रथम
लखनऊ